

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :- 355/2024

GCMS NO. 2024/676

1. प्रकाश चंद पुत्र प्रभातीलाल उम्र 54 वर्ष
2. मनोहरलाल पुत्र प्रभातीलाल उम्र 42 वर्ष
3. ग्यारसी देवी पत्नी प्रभातीलाल उम्र 80 वर्ष
जाति खटीक निवासी मोड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
4. चमेली देवी पुत्री प्रभातीलाल पत्नी बद्रीप्रसाद उम्र 52 वर्ष जाति खटीक निवासी मोड़ी
हाल आबाद आर- 292 कैम्प नं. 5, ज्वाला पुरी सुंदर विहार एस.ओ. वेस्ट दिल्ली
5. तीजा देवी पुत्री प्रभातीलाल पत्नी राजेश कुमार बुन्देला उम्र 41 जाति खटीक निवासी
मोड़ी हाल निवासी वार्ड नं. 12 मोहल्ला खटीकान बगड़ जिला झुंझुनू राज.
6. कृष्णा पुत्री प्रभातीलाल पत्नी हन्सराज उम्र 59 वर्ष जाति खटीक निवासी भोड़ी हाल
आबाद सूरजपुरा तहसील विराटनगर जयसिंहपुरा जिला जयपुर राज.
7. संतोष पुत्री प्रभातीलाल पत्नी युधिष्ठिर उम्र 44 वर्ष जाति खटीक निवासी गोड़ी हाल
आबाद वार्ड नं. 18 पटेल नगर बहरोड़ जिला अलवर राज.
8. सुमित्रा पुत्री प्रगातीलाल पत्नी भूप सिंह उम्र 45 वर्ष जाति खटीक निवासी गोड़ी हाल
निवासी मकान नं. 94 विरखाना गोहल्ला बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

.....वादीगण

- बनाम -

1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.

..... प्रतिवादी

वाद - घोषणात्मक नाम दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

वकीलवादीगण - श्री बद्रीप्रसाद सैनी

-: निर्णय :-

दिनांक :- 11/12/25

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादीगण की ओर से दिनांक 05.12.2024 को पेश किया गया है कि :-


बाके ग्राम मोड़ी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता सं. 10 के खं.नं. 297/10 रकबा 0.36 हैक्टर के वादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड



[Handwritten Signature]
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुंझुनू

है। वादी सं. 1 का सही नाम प्रकाश चंद पुत्र प्रभातीलाल है जो वादी सं. 1 के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में दर्ज है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी सं. 1 का नाम प्रकाश पुत्र प्रभाती दर्ज कर दिया इस प्रकार वादी व उसके पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम प्रकाश चंद पुत्र प्रभातीलाल है। वादी सं. 2 का सही नाम मनोहरलाल पुत्र प्रभातीलाल है जो वादी सं. 2 के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में दर्ज है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी सं. 2 का नाम मन्दरूप पुत्र प्रभाती दर्ज कर दिया इस प्रकार वादी सं. 2 व उसके पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम मनोहरलाल पुत्र प्रभातीलाल है। वादी सं. 3 का सही नाम ग्यारसी देवी पत्नी प्रभातीलाल है जो वादी सं. 3 के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में दर्ज है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी सं. 3 का नाम ग्यारसी पत्नी प्रभाती दर्ज कर दिया इस प्रकार वादी सं. 3 व उसके पति का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम ग्यारसी देवी पत्नी प्रभातीलाल है। वादी सं. 4 का सही नाम चमेली देवी पुत्री प्रभातीलाल है जो वादी सं. 4 के आधार कार्ड में दर्ज है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी सं. 4 का नाम चमेली पुत्री प्रभाती दर्ज कर दिया इस प्रकार वादी सं. 4 व उसके पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम चमेली देवी पुत्री प्रभातीलाल है। वादी सं. 5 का सही नाम तीजा देवी पुत्री प्रभातीलाल है जो वादी सं. 5 के आधार कार्ड में दर्ज है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी सं. 5 का नाम तीजा पुत्री प्रभाती दर्ज कर दिया इस प्रकार वादी सं. 5 व उसके पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम तीजा देवी पुत्री प्रभातीलाल है। वादी सं. 6 का सही नाम कृष्णा पुत्री प्रभातीलाल है जो वादी सं. 6 के आधार कार्ड में दर्ज है। लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभाती दर्ज कर दिया इस प्रकार वादी सं. 6 व उसके पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम कृष्णा पुत्री प्रभातीलाल है। वादीगण के पिता का सही नाम प्रभातीलाल है लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी सं. 1 लगायत 8 के पिता का प्रभाती दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि सही नाम प्रभातीलाल है। तथा वादीगण की जाति खटीक है लेकिन उपरोक्त वर्णित भूमि में समस्त वादीगण की जाति माली दर्ज कर दी जो गलत है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीगण व उनके पिता का नाम तथा वादीगण की जाति गलत दर्ज होने से वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजात में वादीगण व उनके पिता का नाम अलग अलग दर्ज होने से वादीगण को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले गुआवजे व भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है। वैसे भी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम व पिता का नाम व जाति की त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की गूल या लापरवाही के कारण हुई है जिसे दुरुस्त करवाने का वादीगण अधिकारी है। इसलिये वादीगण को अपना व अपने पिता का नाम व जाति दुरुस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मोड़ी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 10 के खं.नं. 297/10 रकबा 0.36 हैक्टर में दर्ज वादी सं. 1 का नाम प्रकाश पुत्र प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 1 का नाम प्रकाश चंद पुत्र प्रभातीलाल जाति खटीक तथा वादी सं. 2 का नाम मन्दरूप पुत्र प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 2 का नाम मनोहरलाल पुत्र प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 3 का नाम ग्यारसी पत्नी प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं 3 का नाम ग्यारसी देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं 4 का नाम चमेली पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 4 का नाम चमेली देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति




उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्ड

खटीक, तथा वादी सं. 5 का नाम तीजा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं० 5 का नाम तीजा देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 7 का नाम संतोष पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 7 का नाम संतोष पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 8 नाम सुमित्रा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं० 8 का नाम सुमित्रा पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू. अ./2025/779 दिनांक 17.04.2025 से जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास की मूल रिपोर्ट मय आधार कार्ड समस्त वादीगण एवं प्रतिलिपि जाति प्रमाण पत्र, प्रतिलिपि राश कार्ड एवं वोटर आईडी वादी सं 02 मनोहरलाल खींची संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता सं. नया 10 ग्राम मोड़ी, मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी सम्बत 2047-50, उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के नाम प्रार्थना पत्र सरपंच मेहाड़ा जाटूवास, फोटो प्रति आधार कार्ड समस्त वादीगण, फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र प्रकाश चन्द (वादी सं० 01) एवं मनोहर लाल (वादी सं० 02) आदि पेश की तथा साक्ष्य में शपथ-पत्र प्रकाश चंद पुत्र प्रभातीलाल (पी.डब्ल्यू-1) एवं मनोहरलाल पुत्र प्रभातीलाल (पी.डब्ल्यू-2) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/779 दिनांक 17.04.2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादीगण ग्राम मोड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्बत् 2075-78 के खाता सं. 10 के खं.नं. 297/10 रकबा 0.36 हैक्टर में दर्ज वादी सं. 1 का नाम प्रकाश पुत्र प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 1 का नाम प्रकाश चंद पुत्र प्रभातीलाल जाति खटीक तथा वादी सं. 2 का नाम मन्दरूप पुत्र प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 2 का नाम मनोहरलाल पुत्र प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 3 का नाम ग्यारसी पत्नी प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं 3 का नाम ग्यारसी देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं० 4 का नाम चमेली पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 4 का नाम चमेली देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 5 का नाम तीजा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं० 5 का नाम तीजा देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभाती



उपस्थित नायबतारी
एवं पदेन सहायक कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनू

जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 7 का नाम संतोष पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 7 का नाम संतोष पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 8 नाम सुमित्रा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 8 का नाम सुमित्रा पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मोड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 10 के खं.नं. 297/10 रकबा 0.36 हैक्टर में दर्ज वादी सं. 1 का नाम प्रकाश पुत्र प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 1 का नाम प्रकाश चंद पुत्र प्रभातीलाल जाति खटीक तथा वादी सं. 2 का नाम मन्दरूप पुत्र प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 2 का नाम मनोहरलाल पुत्र प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 3 का नाम ग्यारसी पत्नी प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 3 का नाम ग्यारसी देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 4 का नाम चमेली पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 4 का नाम चमेली देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 5 का नाम तीजा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 5 का नाम तीजा देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 7 का नाम संतोष पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 7 का नाम संतोष पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 8 नाम सुमित्रा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 8 का नाम सुमित्रा पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/12/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनू

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाबा दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' -I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज.)
पीतासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रकाश आदि - ब नाम - राज. राज्य जरिये तहसीलदार खेतड़ी

दावा बाबत घोषणात्मक नाम एवं जाति दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर :- 355/2024 GCMS No. - 2024/676


निर्णय दिनांक :- 11/12/25

वादीगण की ओर से श्री बट्टीप्रसाद सैनी एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 01 की ओर से स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/12/25 को मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

"वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मोड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 10 के खं.नं. 297/10 रकबा 0.36 हैक्टर में दर्ज वादी सं. 1 का नाम प्रकाश पुत्र प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 1 का नाम प्रकाश चंद पुत्र प्रभातीलाल जाति खटीक तथा वादी सं. 2 का नाम मन्दरूप पुत्र प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 2 का नाम मनोहरलाल पुत्र प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 3 का नाम ग्यारसी पत्नी प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं 3 का नाम ग्यारसी देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं0 4 का नाम चमेली पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 4 का नाम चमेली देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 5 का नाम तीजा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 5 का नाम तीजा देवी पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 6 का नाम कृष्णा पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 7 का नाम संतोष पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं. 7 का नाम संतोष पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक, तथा वादी सं. 8 नाम सुमित्रा पुत्री प्रभाती जाति माली हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 8 का नाम सुमित्रा पुत्री प्रभातीलाल जाति खटीक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलक्टर

खेतड़ी, जिला झुंझुनू